

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2214] No. 2214] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2018/ज्येष्ठ 29, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

का.आ. 2947(अ).—जबिक, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) का अधिनियमन व्यक्तियों तथा संगठनों के कतिपय विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी गतिविधियों तथा उनसे संबंधित मामलों से निपटने के लिए किया गया है;

और जबिक, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के अंतर्गत,'आतंकवादी संगठन' से, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के नाम से कार्य कर रहा कोई संगठन, अभिप्रेत है;

और जबिक, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में ऐसे आतंकवादी संगठनों को विनिर्दिष्ट किया गया है;

और जबिक, 'भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (ए क्यू आई एस)', अल-कायदा (ए क्यू) की एक शाखा, एक आतंकवादी संगठन है, जिसने पड़ोसी देशों में आतंकवादी कृत्य किए हैं, भारतीय उप-महाद्वीप में भारतीय हितों पर आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा तथा प्रोत्साहित करता रहा है और भारत के युवाओं का अतिवादीकरण करने और उनकी भर्ती करने का प्रयास करता रहा है:

और जबिक ''खोरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट (आई एस के पी)/आई एस आई एस विलायत खोरासान/इस्लामिक स्टेट ऑफ ईराक एण्ड शाम-खोरासान (आई एस आई एस-के)'', आई एस आई एस की एक अफगानिस्तान स्थित शाखा, एक आतंकवादी संगठन है जो भारतीय उप-महाद्वीप में आतंकवाद को बढ़ावा देता है तथा इसे प्रोत्साहित करता है और 'वैश्विक जिहाद' के लिए युवाओं की भर्ती करके अपनी स्थिति को सुदृढ करने और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को गिरा कर अपना 'खलीफा शासन' (कैलिफेट) स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आतंकवादी कृत्य करता रहा है और भारत तथा भारतीय हितों को अपना निशाना मानता है और अतिवादीकरण की गतिविधियों में संलग्न है तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारतीय युवाओं की भर्ती कर रहा है;

और जबिक, उक्त संगठनों द्वारा भारत के युवाओं की भर्ती और उनका अतिवादीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं;

3408 GI/2018 (1)

और जबिक, केन्द्रीय सरकार का विश्वास है कि 'भारतीय उप महाद्वीप में अल-कायदा (ए क्यू आई एस)' और खोरासान प्रान्त में इस्लामिक स्टेट (आई एस के पी)/आई एस आई एस विलायत खोरासान/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एण्ड शाम-खोरासान (आई एस आई एस-के), आतंकवाद में लिप्त आतंकवादी संगठन है एवं उसने उक्त दोनों संगठनों तथा उनके सभी स्वरूपों को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया है;

अत: अब, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,-

- (i) क्रम संख्या 28 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-
 - ''अल-कायदा/भारतीय उप महाद्वीप में अल-कायदा (ए क्यू आई एस) और उसके सभी स्वरुप'';
- (ii) क्रम संख्या 38 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

''38. इस्लामिक स्टेट/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लीवेंट/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया/ दायेश/खोरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट (आई एस के पी)/आई एस आई एस विलायत खोरासान/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम-खोरासान (आई एस के पी) तथा इसके सभी स्वरूप''।

> [फा. सं. 11034/09/2018-सीटी-]] सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2018

S.O. 2947(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, under clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, the 'Al-Qaida in Indian Subcontinent (AQIS)', an affiliate of 'Al-Qaida (AQ)', is a terrorist organisation, which has committed acts of terrorism in the neighbouring countries, has been promoting and encouraging terrorist acts on the Indian interests in the Indian Sub-continent and has been attempting radicalisation and recruitment of youth from India;

And whereas the "Islamic State in Khorasan Province (ISKP)/ISIS Wilayat Khorasan/Islamic State of Iraq and the Sham-Khorasan (ISIS-K)", an Afganistan based affiliate of ISIS, is a terrorist organisation, which promotes and encourages terrorism in the Indian Sub-continent and has been committing terrorist acts to consolidate its position by recruiting youth for 'global jihad' and to achieve the objective of establishing its own 'caliphate' by overthrowing democratically elected Governments and considers India and the Indian interests as its targets and is engaged in activities of radicalising and recruiting Indian youth for terrorist activities;

And whereas, the recruitment of youth by the said organisations from India and their radicalisation are a matter of serious concern for the national security and international peace;

And whereas, the Central Government believes that the 'Al-Qaida in Indian Subcontinent (AQIS)' and the Islamic State in Khorasan Province (ISKP)/ISIS Wilayat Khorasan/Islamic State of Iraq and the

Sham-Khorasan (ISIS-K) are terrorist organisations involved in terrorism and has decided to add the said two organisations and all their manifestations in the First Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, -

- (i) for serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
 - "28. Al-Qaida/Al-Qaida in Indian Sub-continent (AQIS) and all its manifestations.";
- (ii) for serial number 38 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
 - "38. Islamic State/Islamic State of Iraq and Levant/Islamic State of Iraq and Syria/Daish/Islamic State in Khorasan Province (ISKP)/ISIS Wilayat Khorasan/Islamic State of Iraq and the Sham-Khorasan (ISIS-K) and all its manifestations."

[F. No. 11034/09/2018-CT-I]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.